रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 8, 2012/आश्विन 16, 1934
No. 514] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2012/ASVINA 16, 1934

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 752(अ).— केंद्र सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2 खंड-3, उपखंड (i) में तारीख 7 मई 2010 को प्रकाशित भारत, सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398 (अ.) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व अथवा करने से लोप की गई बातों के सिवाय, भारत में घोड़े अथवा अन्य अश्वों के आयात को निम्नलिखित अधिसूचना में दी गई प्रक्रिया के अनुसार विनियमित करती है:-

अनुसूची

1. साधारण अपेक्षा: घोड़े अथवा अन्य अश्व के साथ वैध पासपोर्ट होगा या यदि घोड़ा अथवा अन्य अश्व पासपोर्ट निर्गत करने वाले देश से मूल रूप से नहीं है तो निर्यातक देश के शासकीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित पहचान प्रमाण-पत्र के साथ उसका संपूर्ण पूर्ववृत संलग्न होना चाहिए।

2. परीक्षण की अपेक्षा: (1) घोड़े या अन्य अश्व ऐसे देश से आएंगे-

(i) जहां निर्यात से विगत दो वर्ष पूर्व अफ्रिकन हॉर्स सिकनेस वायरस (एएचएसवी) के प्रकोप की सूचना न हो;

3827 GI/2012

(ii) जबकि अफ्रिकन हॉर्स सिकनेस पूरे देश में अधिसूचनीय रोग है, अफ्रिकन हॉर्स सिकनेस वायरस (एएचएसवी) से मुक्त हो व्यवस्थित टीकारण प्रतिबंधित है, अश्वों और उनके वीर्य, अंडक अथवा भ्रूण का आयात पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन के टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड के अध्याय 12.1 के अनुसार किया जाता है।

(iii) जहां घोड़े या अन्य अश्व ने निर्यात के विगत दो वर्ष पूर्व अफ्रिकन हार्स सिकनेस से संक्रमित किसी देश की यात्रा नहीं की है अथवा देश से न गए हों;

(iv) पशुचिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा इस बात को प्रमाणित किए जाने पर कि उक्त घोड़ा अथवा अन्य अश्व

(क) पोत में लदान के दिन अफ्रिकन हॉर्स सिकनेस (एएचएस) के कोई नैदानिक लक्षण उपदर्शित नहीं किए हैं;

(ख) निर्यात के ठीक चालीस दिन पूर्व अफ्रिकन हॉर्स सिकनेस (एएचएस) का टीका नहीं लगाया गया है;

(ग) किसी संक्रमित क्षेत्र में परिवहन के दौरान हर बार कुलीक्वाइड के आक्रमण से बचाया गया हो।

(v) जहां निर्यात से पिछले बीस मास पूर्व संक्राभक इक्वाईन मंट्रिटिस (सीइएम) की सूचना नहीं है।

परन्तु यह कि संक्रामक इक्वाईन मेट्रिटिस (सीइएम) संक्रामित देश से घोड़े या अन्य अश्व के निर्यात की अनुमति दी जा सकती है, यदि घोड़े या अन्य अश्व को किसी ऐसे स्थापन या फार्म (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) में रखा गया हो, जो निर्यात के तीन वर्ष पूर्व संक्रामक अश्व मेट्रिटिस से मुक्त हो और घोड़ों अथवा अश्व को निर्यात के पिछले छत्तीस मास के दौरान समागम नहीं कराया गया हो।

परन्तु यह और कि यदि घोड़ा या अन्य अश्व का किसी स्थापन या फार्म (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) में समागम कराया गया है, वे तीन लगातार मौकों पर संक्रामक अश्व मंट्रिटिस (सीईएम) परीक्षण में निगेटिव हो यह परीक्षण स्टेलियन और गर्भवती घोडियों के लिए सात दिनों और गैर-गर्भवती घोडियों के लिए तीन लगातार स्राव के अधिक से अधिक के अंतराल पर न हो।

(vi) निर्यात के पूर्व पशुचकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न सारणी के अनुसार आवश्यक परीक्षण के लिए निर्यात-पूर्व संगरोध से गुजरने के पश्चात्।

(2) घोड़ों अथवा अन्य अश्व का आयात केवल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य हवाई अड्डों के माध्यम से किया जाएगा।

(3) आयातक, जहाज पर चढ़ाने से सात दिनों पूर्व हवाई अड्डों पर संलग्न पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा के क्षेत्रीय अधिकारी या संगरोध अधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ-साथ सारणी में दर्शाए परीक्षणों के पूर्ण होने के बाद सभी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करेगा।

(ग) घोड़े व अन्य अश्व के रेखाचित्र, निशान व विवरण:-

(लिखित विवरण घोड़े अथवा अन्य अश्वों के रेखा चित्र के अनुरूप होना चाहिए)

1. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र:

अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि पूर्वोक्त वर्णित घोड़े व अन्य अश्व का आज परीक्षण किया गया और प्रमाणित किया जाता है कि:-

(1) (i) घोड़ा अथवा अन्य अश्व लदान के पिछले दो वर्षों से अफ्रिकन हॉर्स सिकनेस वायरस (एएचसीवी) से मुक्त है;

(ii) .... (देश का नाम) अफ्रिकन हॉर्स सिकनेस वायरस (एएचएसवी) मुक्त है और जब अफ्रिकन हॉर्स सिकनेस (एएचएस) देश भर में अधिसूचनीय रोग है, व्यवस्थित टीकाकरण प्रतिबंधित है, अश्वों और उनके वीर्य, अंडक अथवा उनके भ्रूण का आयात पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन के टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड के अध्याय 12.1 के अनुसार किया जाता है।

(iii) घोड़े अथवा अन्य अश्व निर्यात के पिछले दो वर्ष से पूर्व अफ्रिकन हॉर्स सिकनेस से संक्रमित किसी देश की यात्रा अथवा देश में न गए हों;

(iv) निर्यात की तारीख को घोड़े अथवा अन्य अश्व में अफ्रिकन हॉर्स सिकनेस (एएचएस) का कोई लक्षण उपदर्शित नहीं हुआ है;

(v) संक्रमित क्षेत्र से आवागमन के समय हर बार घोड़े या अन्य अश्व को कुलीक्वायड्स से संरक्षित किया गया।

(2) (i) * निर्यात के बीस मास पूर्व संक्रामक अश्व मेट्रिटिस (सीईएम) की रिपोर्ट नहीं की गई है

या

(ii) * घोड़े या अन्य अश्व को ऐसी स्थापन (स्थापन का नाम) में रखा गया है जो निर्यात के तीन वर्ष पूर्व से संक्रामक अश्व मिट्रिटिस (सीएसई) से मुक्त है और निर्यात के छत्तीस महींने पूर्व घोड़े या अश्व का समागम नहीं कराया गया है।

या

(iii) * घोड़े अथवा अन्य अश्व जहाज पर लदान के अंतिम छत्तीस महीने पूर्व संक्रामक अश्व मेट्रिटिस (सीईएम) से मुक्त स्थापन से आए हैं और समागम कराया गया और इसे प्रीपास, मूत्रमार्ग, योनि, गर्भग्रीवा से लिए गए स्वाब की कल्चर जांच के आधार पर तीन लगातार अवसरों, प्रत्येक बार स्टेलियन के लिए सात दिनों से कम अंतराल पर नहीं और गर्भवर्ती घोडियों और गर्भवती घोडियों के तीन लगातार स्राव पर संक्रामक अश्व मिट्रिटिस (सीईएम) और अन्य पैथोजीन में निगेटिव पाया गया।

(* लागू न हो तो काट दें)

(3) घोड़े या अन्य अश्व को निर्यात की तारीख से तीन महीने पूर्व उस स्थापन में रखा गया है, जहां इपीजूटिक लिंफेनजाइटिस, अल्सरेटिव, लिंफेनजाइटिस, ट्राईपेनसोमिएसिस, डुरीन, एक्वाइन

पिप्रोप्लाज्मोसिस, एक्वाइन रियोन्यूमोन्टिस, एक्वाइन इन्सेफ्लोमाइलेटिस (इस्टर्न और वेस्टर्न एन्सेफलिटिस) वेनेजुएलियन इन्सेफलोमेलिटिस, एक्वाइन इंफ्लूएंजा, एक्वाइन इंफेक्शश एनिमिया, पोटोमैक हार्स फीवर, वेस्ट नाईल वायरस संक्रमण और वेसिकुलर स्टोमेटिटिस सहित कोई संक्रामंक और सांसर्गिक रोग से मुक्त हैं और इस अवधि के दौरान किसी सीमावर्ती परिसरों में ऐसे किसी रोग के प्रकोप की कोई सूचना नहीं है।

(4) घोड़े और अन्य अश्व को एक्वाईन इंफ्लूएंजा वायरस का टीका लगाया गया है और ऐसा अंतिम टीका निर्यात के ठीक चौदह दिन पूर्व नहीं लगनी चाहिए।

(5) घोड़े तथा अन्य अश्व को एक्टोपारासाइट से मुक्त पाया गया और एंटीहेलमिन्शस से उपचार किया गया है।

(6) निर्यात किए जा रहे घोड़े तथा अन्य अश्व को सरकार द्वारा स्वीकृत संगरोध केंद्र पर एकांत में रखा गया है और यह सारणी में दर्शाए गए परीक्षणों के निगेटिव परिणाम के अधीन हैं:-

सारणी

रोग	रोग नैदानिक जांच	दशा
(1)	(2)	(3)
ग्लैण्डर्स	मलेईन/कम्प्लीमेंट फिक्शेसन परीक्षण (सीएफटी)	लदाई के पूर्व पंद्रह दिन की अवधि के दौरान
डाउरिन	कम्प्लीमेंट फिक्शेसन परीक्षण (सीएफटी)	लदाई के पूर्व पंद्रह दिन
इक्वाईन इंफेक्शस न्यूमोनिया (ईआईए)	कॉगिन्स (इक्यूनोडिफ्यूजन परीक्षण)	लदाई के पूर्व तीस दिन की अवधि के दौरान
इफेक्शस इक्वाईन एबार्शन (सलभोनेला एबटर्स क्वि)	सेरम इग्लूटिनेशन परीक्षण (टिटर एक/तीन हजार से अधिक नहीं)	लदाई के पूर्व पंद्रह दिन
इक्वाईन वायरल आरिटिरिटिस (ईवीए)	वायरस न्यूट्रलाइजेशन परीक्षण	लदाई के अट्ठाईस दिन पूर्व की अवधि के दौरान नकारात्मक परिणाम के साथ कम से कम चौदह-चौदह दिन में दो बार
बेसीकुलर स्टेमिटिटिस	कम्प्लीमेंट फिक्शेसन परीक्षण (सीएफटी/एन्जाइम-लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे (ईएलआईएसए)	निर्यात पूर्व संगरोध के आरंभ होने से कम से कम इक्कीस दिन पश्चात
कंटेजियस इक्वाईन मेट्रिटिस (सीईएम)	माईक्रो-आर्गेनिजम का कल्चर	निर्यात पूर्व संगरोध के दौरान नकारात्मक परिणाम के साथ सप्ताह भर के अंतराल पर दो लगातार जांच।

3237 GI/12-2

इक्वाईन पीरोप्लाज्मोसिस (बवेसिया इक्वी तथा बबेसिया कबाल्ली)	कम्प्लीमेंटेशन फिक्शेशन परीक्षण (सीएफटी)/इनडरेक्ट फ्लेरेसेंट एंटीबॉडी परीक्षण (आइएफएटी)	लदाई के तीस दिन पूर्व की अवधि के दौरान
वेनेजुएलन इक्वाईन इनसेफलामाएलिटिस	हेमेग्लूटिनेशन इनहिवीशन (एचआई) या कम्प्लीमेंट फिक्शेसन परीक्षण (सीएफटी) या प्लेग रिक्शन न्यूट्रलाईजेशन परीक्षण (पीआरएनटी)	निर्यात पूर्व संगरोध के आरंभ होने के बाद चौदह दिन से कम नहीं।

कृपया ध्यान दें: (i) ऐसे रोगों के लिए, जिनके बारे में मुक्ति स्थिति प्रमाणित हो चुकी है उसके लिए परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

(ii) प्रत्येक परीक्षण के सामने परीक्षण की तारीख भी विनिर्दिष्ट की जाए।

हस्ताक्षर____________________

____

पशुचिकित्सा अधिकारी का नाम और पता

(कार्यालय मुहर)

स्थान:

तारीख:

5. निर्यात पश्च संगरोध:

(i) भारत में आयात होने पर घोड़े अथवा अन्य अश्व को सरकारी संगरोध केन्द्र पर कम से कम तीस दिन के संगरोध पर रखा जाएगा।

(ii) संगरोध की अवधि के दौरान घोड़ा अथवा अन्य अश्व सरकार द्वारा, जैसा आवश्यक समझा जाए, मानक कल्चर और सेरोलॉजीकल परीक्षण के अधीन होगा।

(iii) संक्रामक अश्व मेट्रिटिस (सीईएम) की स्थिति में 7 दिनों के अंतराल पर लिए गए कम से कम दो लगातार नमूनों की जांच निगेटिव होनी चाहिए।

(iv) घोड़े अथवा अन्य अश्व के निर्यातक देश से किसी विदेशी रोग के लिए पॉजिटिव या संदेहास्पद अधिप्रमाणन की स्थिति में घोड़े अथवा अन्य अश्व को जैसा ठीक समझा जाए, वापस उसके मूल देश भेज दिया जाएगा अथवा संगरोध केंद्र पर आयातक की लागत पर नष्ट कर दिया जाएगा।

(v) भारत में हुए उक्त वर्णित परीक्षणों पर होने वाले सभी खर्च का वहन आयातक द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 109-02/2009-ट्रेड]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2012

G.S.R. 752(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries *vide* number G.S.R.389 (E) dated the 7th May, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby regulates the import of horse or other equidae into India in the manner laid down in the Schedule as under:-

SCHEDULE

1. General Requirement: The horse or other equidae shall be accompanied with a valid passport or if the horse or other equid is not originating from countries not issuing pass port, it must be accompanied by a complete history sheet with an identification certificate duly authenticated by an official veterinarian of the exporting country.

2. Testing Requirement: (1) The horse or other equidae shall come from a country,-

(i) where the African Horse Sickness Virus (AHSV) has not been reported for the last two years preceding the exportation;

(ii) free from African Horse Sickness Virus (AHSV) when African Horse sickness (AHS) is a notifiable disease in the whole country, systematic *vaccination* is prohibited, importation of equids and their semen, oocytes or embryos are carried out in accordance with Chapter 12.1 of Terrestrial Animal Health Code of World Organisation for Animal Health (OIE);

(iii) where the horse or other equidae have not travelled to or through any country infected with African Horse Sickness for the last two years preceding the exportation;

(iv) with a certificate of veterinary authorities certifying that the horse or other equidae -

(a) have not shown any clinical signs of African Horse Sickness (AHS) on the day of shipment;

(b) have not been vaccinated against African Horse Sickness (AHS) forty days immediately preceding the exportation;

(c) were protected from *Culicoides* attacks at all times when transiting through an *infected zone*.

(v) where Contagious Equine Metritis (CEM) has not been reported during the last twenty months preceding the exportation.

Provided that the import of the horse or other equidae from Contagious Equine Metritis (CEM) infected country shall be allowed if the horse or other equid have been kept in an establishment or farm (by whatever name called) which is free from Contagious Equine Metritis (CEM) for three years preceding the exportation and the horse or other equidae have not been mated during last thirty six months preceding the exportation:

Provided further that if the horse or other equidae has been mated within an establishment or farm (by whatever name called), they shall test negative from Contagious Equine Metritis (CEM) on three consecutive occasions each not less than seven days intervals for stallions and pregnant mares, and on three consecutive oestruses for non-pregnant mares.

(vi) after undergoing pre-export quarantine for necessary testing as per Table annexed to the veterinary health certificate, prior to the export.

(2) The horse or other equidae shall be imported only through the International airports at Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai or any other airports notified by the Central Government from time to time.

(3) The importer shall submit all the test reports after completion of the tests indicated at the Table along with a copy of health certificate to the Regional Officer or Quarantine Officer of the Animal Quarantine and Certification Services attached to the airports, seven days prior to the embarkment and shall obtain a No Objection Certificate (NOC).

(4) The horse or other equidae shall be allowed to disembark only on the receipt of an original No Objection Certificate (NOC).

3. Special Requirement. - No horse or other equidae shall be imported into the country unless certified by a certificate of health in English language signed by an official veterinarian licensed and accredited by the exporting state or country in which a physical examination of the same was made as per the Form annexed to this notification.

FORM

(a) General Information:

Name and address of the Consignor:	Certificate reference No.
	Veterinary Authority:
Name and address of the Consignee:	
Country of origin:	
Country of destination	
Name and address of the establishments or farms (by whatever name called) specify the duration of stay of the horse or other equidae with exact dates:	
Details of shipment: (specify flight number and date of journey. If there is break in journey, indicate the details of break journey)	

Details of the official veterinarian who have examined the horse or other equidae:	
Details of the date of examination, the number of horse or other equidae examined: Details of the establishment or premises at which the horse or other equidae were examined:	
Purpose of Import:	
Import License number and date: (issued by the Director General Foreign Trade)	

(b). Details of the horse or other equidae

Species	Breed	Name/ Tattoo	Sex	Age/Date/Year of Birth	Passport No. And Passport issuing authority	Sire	Dam

(c) Diagram, marks and description of the horse or other equidae:

____

(Written description shall agree with the diagram of the horse or other equidae)

1. Certificate of Health:

The undersigned hereby certifies that the horse or other equidae described above has been examined on this day and certifies that:-

(1) (i) the horse or other equidae is free from African Horse Sickness Virus (AHSV) for the last two years of shipment;

(ii)the ....(name of the country) is free from African Horse Sickness Virus (AHSV) when African Horse sickness (AHS) is a notifiable disease in the whole country, systematic *vaccination* is prohibited, importation of equids and their semen, oocytes or embryos are carried out in accordance with Chapter 12.1 of Terrestrial Animal Health Code of World Organisation for Animal Health (OIE);

(iii) the horse or other equidae have not travelled to or through any country infected with African Horse Sickness during the preceding two years preceding the exportation;

(iv) the horse or other equidae have not shown any clinical sign of African Horse Sickness (AHS) on the date of exportation;

(v) the horse or other equidae was protected from *Culicoides* attacks at all times when transiting through an *infected zone;*

3827 GI/12-3

(2) (i) *the Contagious Equine Metritis (CEM) has not been reported for the last twenty months preceding the exportation.

or

(ii) *the horse or other equidae has been kept in an establishment (name of the establishment) which is free from Contagious Equine Metritis (CEM) for the last three years preceding the exportation and the horse or other equidae have not been mated during last thirty six months preceding the exportation.

or

(iii) *the horse or other equidae has come from an establishment free from Contagious Equine Metritis (CEM) for the last thirty six months preceding the shipment have been mated and tested negative for Contagious Equine Metritis (CEM)and other pathogens on three consecutive occasions each at an interval of not less than seven days for stallions and pregnant mares and three consecutive oestruses foe non-pregnant mares, on the basis of culture tested on swabs collected from prepeuce, urethra, vagina and cervix, as the case may be.

(*Strike off if inapplicable)

(3) the horse or other equidae has been kept in establishment for three months preceding the date of exportation, where no infectious or contagious diseases including Epizootic Lymphangitis, Ulcerative Lymphangitis, Trypansomiasis, Dourine, Equine Piroplasmosis, Equine Rhiopneumontis, Equine Encephlomyelitis (including Eastern and Western encephalitis), Venezuelan Encephalomyelitis, Equine Influenza, Equine Infectious Anaemia, Potomac Horse Fever, West Nile Virus infection and Vesicular Stomatitis has not been reported and no such disease have been occurred on any adjoining premises during the same period of time.

(4) the horse or other equidae has been vaccinated with Equine Influenza virus vaccine and the last such vaccination shall not be less than fourteen days immediately preceding the exportation.

(5) the horse or other equidae has been found to be free from ectoparasites and have been treated with antihelminths.

(6) the horse or other equidae being exported has been kept in isolation in an approved Government quarantine station and subjected to the following tests in Table with negative results:-

TABLE

Disease (1)	Diagnostic Test (2)	Condition (3)
Glanders	Mallein/Complement Fixation Test (CFT)	During fifteen days immediately preceding exportation.
Dourine	Complement Fixation Test (CFT)	During fifteen days immediately preceding exportation.

Equine Infectious Anaemia (EIA)	Coggins (Immunodiffusion) Test	During thirty days immediately preceding exportation.
Infectious Equine Abortion (Salmonella abortus equi)	Serum Agglutination Test (titre not greater than one or three thousand)	During fifteen days immediately preceding exportation.
Equine Viral Arteritis (EVA)	Virus Neutralisation Test	Two occasions at least fourteen days apart with negative result during twenty eight days immediately preceding exportation.
Vesicular Stomatitis	Complement Fixation Test (CFT) or Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	At least twenty one days after the commencement of pre- export quarantine
Contagious Equine Metritis (CEM)	Culture of Micro-organisms	Three consecutive occasions not less than seven days for stallions and pregnant mares and three consecutive oestruses for non pregnant mares.
Equine Piroplasmosis (Babesia equi and Babesia caballi)	Complement Fixation Test (CFT)/Indirect Fluorescent Antibody Test (IFAT)	During thirty days immediately preceding exportation.
Hendra and Nipah virus	Real Time PCR	During twenty one days immediately preceding exportation.
West Nile Virus	Reverse Transcription nested PCR (Rt-nPCR)	To be tested negative seven days immediately preceding exportation.
Japenese Encephalitis	Haemagglutination Inhibition	To be tested negative seven days immediately preceding exportation.
Venezuelan Equine Encephalomye litis	Haemagglutination Inhibition, (HI)/ Complement Fixation (CFT)/ Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT)	Not less than fourteen days after the commencement of pre- export quarantine.

N.B.: (i) No Testing is necessary in respect of such diseases for which freedom status has been certified.

(ii) Date of testing shall also be specified against each test.

Signature__________________

____

Name and address of Veterinarian

(Official Stamp)

Place:

Date:

5. Post-Import Quarantine:

(i) On import into India, the horse or other equidae shall be kept in quarantine for minimum period of thirty days at the Government Quarantine Station.

(ii) During the quarantine period, the horse or other equidae shall be subjected to standard culture and serological examination for any disease as deemed necessary by the Government.

(iii) In the case Contagious Equine Metritis (CEM) minimum two consecutive samples drawn at seven days interval to be tested negative.

(iv) In the event of any horse or other equidae found positive or doubtful certification from the exporting country for any exotic disease, the same shall be deported back to the country of origin or destroyed at the quarantine station as deemed fit at the cost of the importer.

(v) All costs of the above mentioned tests conducted in India to be borne by the importer.

[F. No. 109-02/2009-Trade]

RAJBIR SINGH RANA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.